न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 71/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/97)

वादी बनाम	प्रतिवादीगण
1. जसमीत कौर पुत्री सुखदेव सिंह पत्नी बेअन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 28 एम एल बी, 31 एम एल, तहसील रायसिंहनगर।	1. सुखदेव सिंह पुत्र सौदागर सिंह जाति जटसिख निवासी 16/17 एच धनजातियां तहसील श्रीकरणपुर। 2. जसवीर कौर पुत्री सुखदेव सिंह पत्नी जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी 6 पी एस तहसील रायसिंहनगर। 3. खुशप्रीत कौर पुत्री सुखदेव सिंह पत्नी बलराज सिंह निवासी वार्ड नं0 11, गांव 14 एमएल, 1 पी एस, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। 4. कमलदीप कौर पुत्री सुखदेव सिंह पत्नी कुलदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 21 बी बी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर। 5. राजवीर कौर पुत्री सुखदेव सिह पत्नी सुखदीप सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 08, गवाड के पास, 10 एनटीडब्ल्यू, चक प्रताप नगर, डाकघर मोरजण्ड सिक्खान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़। 6. राजस्थान राज्य जरिए तहसील राजस्व, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 02.04.2025

उपस्थितः 1. श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादी

---निर्णय--- दिनांकः13.05.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 13 एच, पटवार मण्डल 13 एच ठूडडा की चालू जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 16/16 में प्रतिवादी संख्या 1 सुखदेव सिह पुत्र सौदागर सिंह के नाम 1.580 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। चक 13 एच, पटवार मण्डल 13 एच ठूडडा की चालू जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 120 में प्रतिवादी संख्या 1 सुखदेव सिह पुत्र सौदागर सिंह के नाम 3.162 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। चक 13 एच, पटवार मण्डल 13 एच ठूडडा की चालू जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 119/105 में प्रतिवादी संख्या 1 सुखदेव सिह पुत्र सौदागर सिंह के नाम 1.012 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 सुखदेव सिह पुत्र सौदागर सिंह के नाम से कुल 5.754 हैक्टेयर यानि 22 बीघा 15 बिस्वा भूमि दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 सुखदेव सिह की वर्तमान में करीबन 72 वर्ष आयु हो चुकी है। वादी की माता बलवीर कौर पत्नी सुखदेव सिह का भी देहांत दिनांक 10.10.2019 को हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 1 के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 विधिक वारिसान है। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा अपनी उक्त 22 बीघा 15 बिस्वा भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के मध्य पारिवारिक बंटवारा किया हुआ है और वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को उक्त भूमि बहिस्सा बराबर सुपुर्द कर रखी है। प्रतिवादी संख्या 1 की देखरेख व तमाम सुविधाओ की पूर्ति भी वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के द्वारा ही की जा रही है। उक्त भूमि का पारिवारिक बंटवारा किया हुआ है और उसके अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 5 उक्त भूमि में 1/5 हिस्सा के अनुसार भूमि पर कब्जा काश्त है तथा उनके द्वारा ही उक्त भूमि की तमाम देखरेख व सुविधाओ की पूर्ति की जा रही है, लेकिन राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से उक्त भूमि दर्ज होने के कारण, वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को काफी असुविधा होती है और सरकार से मिलने वाली राशि व अन्य सुविधाओ से भी वंचित होना पड़ता है, क्योकि प्रतिवादी संख्या 2 से 5 पृथक-पृथक निवास करती है तथा प्रतिवादी संख्या 1 अपनी मर्जी के अनुसार निवास करता है। वादी ने कई बार प्रतिवादीगण को कहा कि वह सहमति से पारिवारिक बंटवारा के अनुसार उक्त भूमि अपने नाम से दर्ज करवा लेवे, क्योकि प्रतिवादी संख्या 1 की आयु 72 वर्ष करीबन हो चुकी है, लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 से 5 हर समय कोई न कोई बहाना बनाकर, टाल-मटोल करते रहते है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 13 एच, पटवार मण्डल 13 एच ठूडडा की चालू जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 16/16 में प्रतिवादी संख्या 1 सुखदेव सिह पुत्र सौदागर सिंह के नाम 316/835 हिस्सा यानि 1.580है0 भूमि, खाता संख्या 120 में प्रतिवादी संख्या 1 सुखदेव सिह पुत्र सौदागर सिंह के नाम 527/1455 हिस्सा यानि 3.162है0 भूमि व खाता संख्या 119/105 में प्रतिवादी संख्या 1 सुखदेव सिह पुत्र सौदागर सिंह के नाम 1012/3163 हिस्सा यानि 1.012 है0 का मुताबिक

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

पारिवारिक बंटवारा के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जावे एवं उक्तानुसार अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर को डिक्री पारित की जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी जसमीत कौर व प्रतिवादीगण सुखदेव सिंह, जसवीर कौर, खुशप्रीत कौर, कमलदीप कौर, राजीवर कौर के द्वारा न्यायालय में उपस्थित आकर राजीनामा/समझौतानामा पेश किया। राजीनामा दोनों पक्षों को पढकर सुनाया गया। दोनों पक्षों के द्वारा राजीनामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया। राजीनामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 सुखदेव सिंह पुत्र सौदागर सिंह के नाम दर्ज राजस्व ग्राम 13 एच, पटवार हल्का 13 एच, भू.अ. नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 16/16 में 1.580 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 120/28 में 3.162 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 119/105 में 1.012 हैक्टेयर भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 प्रत्येक को 1/5 हिस्सा यानि 1.150 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है, तो हम वादी, प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति, एतराज नहीं है। हस्तगत प्रकरण में दोनो पक्षों के द्वारा राजीनामा पेश किया गया है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि वादी का वादपत्र दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने वादी का वादपत्र उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार डिक्री किये जाने की ईशतदुआ की है। वादी के वादपत्र मय शपथपत्र, समझौतानामा मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादी का वाद पत्र दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा मुताबिक डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण, प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 सुखदेव सिंह पुत्र सौदागर सिंह के नाम दर्ज राजस्व ग्राम 13 एच, पटवार हल्का 13 एच, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 16/16 में 1.580 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 120/28 में 3.162 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 119/105 में 1.012 हैक्टेयर भूमि, कुल 5.754 हैक्टेयर भूमि का वादी जसमीत कौर पुत्री सुखदेव सिंह व प्रतिवादीगण जसवीर कौर पुत्री सुखदेव सिंह, खुशप्रीत कौर पुत्री सुखदेव सिंह, कमलदीप कौर पुत्री सुखदेव सिंह, राजवीर कौर पुत्री सुखदेव सिंह, प्रत्येक को 1/5 हिस्सा भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 13.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

जसमीत कौर बनाम सुखदेव सिंह आदि
धारा अन्तर्गत 88, 91, 188 आरटीए
मुकदमा नम्बर **71/2025**
निर्णय दिनांक :-13.05.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू, मनीष जागिंड उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 सुखदेव सिंह पुत्र सौदागर सिंह के नाम दर्ज राजस्व ग्राम 13 एच, पटवार हल्का 13 एच, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 16/16 में 1.580 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 120/28 में 3.162 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 119/105 में 1.012 हैक्टेयर भूमि, कुल 5.754 हैक्टेयर भूमि का वादी जसमीत कौर पुत्री सुखदेव सिंह व प्रतिवादीगण जसवीर कौर पुत्री सुखदेव सिंह, खुशप्रीत कौर पुत्री सुखदेव सिंह, कमलदीप कौर पुत्री सुखदेव सिंह, राजवीर कौर पुत्री सुखदेव सिंह, प्रत्येक को 1/5 हिस्सा भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।

आज दिनांक 08.05.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	1450	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**1454**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

दिनांकः 13.05.2025

क्रमांकः रीडर/2025/284

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)